तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मिश्रीदेवी बनाम गुरूदयाल सिंह** **जीसीएमएस नम्बर 2022/78**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.06.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उनकी बहस प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो किये जाने पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण उक्त अपील को आगे नही चलाना चाहते है एवं इसी स्तर पर विड्रो करना चाहते है इसलिये उक्त अपील को विड्रो किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अपील अपीलान्ट विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की कृपा करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चालाना चाहते एवं इसी स्तर पर विड्रो करना चाहते है तो अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अतः अपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलान्ट विड्रो की अनुमति देते हुए खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (विकास एस.भाले) संभागीय आयुक्त जयपुर।	